ग्राम पंचायत टिकर मुसेरा, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत टिकर मुसेरा, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्री रवीन्द्र सिंह	01.03.2022 से लगातार

सचिव :-

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्री रवि कुमार	01.03.2022 से 22.06.2022
2	श्री शिव कुमार	23.06.2022 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत टिकर मुसेरा के लेखाओं अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (₹ लाखों में)**
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर बारे	**₹ 0.13**
2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	**₹ 19.23**
3	6(क)	गृह कर न वसूलने बारे	**₹ 0.22**
4	6(ख)	दुकान किराया न वसूलने बारे	**₹ 0.18**
5	6(ङ)	विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा ना करवाना	**₹ 0.07**
6	8	रॉयल्टी की कटौती न करके वसूली न करना	**₹ 0.25**

भाग- दो

2 (क) वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत टिकर मुसेरा, विकास खण्ड चौंतडा, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखाओं का वर्तमान व प्रथम अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार,कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15-06-2024 से 24-06-2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया

गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	**03/23**	**05/22**
2023-24	**01/24**	**03/24**

(ख) अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत टिकर मुसेरा, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹ 4800/- आँका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-352 दिनांक 24.06.24 द्वारा अनुरोध किया गया है।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत टिकर मुसेरा, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व: स्त्रौत व अन्य अनुदान :- ग्राम पंचायत टिकर मुसेरा, के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की स्व: स्त्रौत व अन्य अनुदान की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (क)** में संलग्न है :-

वर्ष	**अथ शेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2022-23	987409.61	1549522	2536931.61	1546884	990047.61
2023-24	990047.61	630946	1620993.61	883782	737211.61

दिनांक 31.03.24 को सामान्य निधि व अनुदान का अन्तशेष **737211.61**

दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण :-

Bank name	**Account no.**	**Name of head**	**Closing balance as on 31.03.2023 (₹)**
H.P State cooperative bank,Chountra	30510104602	Own source & other grants	723329.61
H.P State cooperative bank,Chountra	30510115756	14th FC	1026
IndusInd Bank Shimla	100167299498	RGSA	265
		Total	724620.61

बैंक समाधान विवरणी :-		
स्व: स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में अंत शेष		737211.61
	दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष	724620.61
	अन्तर की राशि	**12591**

(ii) 15 वाँ वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

वर्ष	**अथ शेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2022-23	1775386	934270	2709656	1162796	1546860
2023-24	1546860	196880	1743740	557717	1186023

Bank Reconicilation as on 31 03-2024		
Balance as per cash book	1186023	
add:- interst of Rs 9405 taken in pass book on dated 01.04.2022, but not taken in cash book,interst of Rs 13481 taken in pass book on dated 01.07.2022, but not taken in cash book,interest of Rs 14569 taken in Pass book as on dated 01.10.2022 but not taken in cash book,interest of Rs 13876 taken in pass book as on dated 01.01.2023 but not taken in cash book , interest of Rs 11583 taken in pass book as on 01.04.2023 but not taken in cash book, interest of Rs 12797 taken as on 01.07.2023 in pass book but not taken in cash book ,interest of Rs 10776 taken in cash book as on 01.10.2023 but not taken in cash book,interest of Rs 10127 taken in pass book as on 01.01.2024 but not taken cash book	96614	
add:-On dated 15.06.2022 grant in aid of Rs 115727 received in pass book but not taken in cash book	115727	**1398364**
Balance as per Pass book		**1398364**
Net Difference		**nill**

(iii) मनरेगा

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	0	2496314	0	2496314	2496314	0
2023-24	0	2332951	0	2332951	2332951	0

4.1. रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹0.13 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष

में **₹12591** की राशि का अन्तर पाया गया । अत: मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाये ।

5. **(क) पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना:-**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत टिकर मुसेरा के लेखाओं की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था । अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) अनुदान ₹ 19.23 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत टिकर मुसेरा द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.24 तक अनुदान ₹ 19,23,234.61 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(i), 4(ii)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

ग्राम पंचायत टिकर मुसेरा द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2022** से **31.03.2024** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6. (क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹0.22 लाख की वसूली न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत टिकर मुसेरा के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (ग)** अनुसार **₹ 22400** की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है । अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) पंचायत राजस्व दुकान के किराए की राशि ₹0.18 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना:-

पंचायत की स्वः स्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दुकान के किराए के रूप में ₹**18000** /- की राशि वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट-(घ)** में दिया गया है जिसकी वसूली, अतिशीघ्र करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) विवाह रजिस्ट्रेशन फीस ₹ 0.01 लाख की वसूली न करना :-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 200 प्रति रजिस्ट्रेशन तथा विलम्ब के लिए 400 अर्थात दोगुनी दर से रजिस्ट्रेशन फीस प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत टिकर मुसेरा द्वारा अवधि 01.04.22 से 31.03.2024 के दौरान विवाह रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में निम्न विवरणानुसार **₹ 200** की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	रोकड़ वही पृस्थ संख्या	रसीद संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	भुगतान योग्य राशि (₹)	प्राप्त राशि (₹)	अन्तर की राशि (₹)
1	60	47495	ऋषव ज्योति सुपुत्र श्री सुनील कुमार	23.06.2022	06.08.2022	400	200	200
कुल योग								**200**

सचिव ग्राम पंचायत टिकर मुसेरा को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-340 दिनांक 19.06.24 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि जिन आवेदनकर्ताओं से कम शुल्क लिया गया था उनसे वसूली करने के उपरांत पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती को दोहराया नहीं जाएगा । अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

(द्ध) विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा न करवाना राशि ₹0.07 लाख :-

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. एस.जे.ई.-ए-ए-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 (हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण (संशोधन) नियम ,2016) के बिंदु 3 के अनुसार पंजीकरण फीस, विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में नकद द्वारा या मनीआर्डर के माध्यम से जमा की जाएगी और ऐसी फीस की प्राप्ति पर विवाह रजिस्ट्रार प्रारूप 4 में रसीद जारी करेगा । सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा पत्र सं. PCH-HA(1)8/2013-marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.2016 द्वारा समस्त जिला पंचायत अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के उक्त आदेशों की अनुपालना हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गए थे।

ग्राम पंचायत टिकर मुसेरा, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मंडी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जांच एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत को वर्ष 2022-23 से 2023-24 के दौरान ₹6700 /- विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त हुए जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. संख्या	वर्ष	प्राप्त शुल्क **(₹)**
1.	2022-23	3475
2.	2023-24	3225
	कुल जोड़	6700

उक्त धन राशि को पंचायत द्वारा विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में जमा करवाया जाना चाहिए था परन्तु उक्त राशि लेखा परीक्षा अवधि (03/2023) तक पंचायत बैंक खाते में जमा थी तथा राशि को सम्बंधित विभाग को प्रदान नहीं किया गया था जोकि उपरोक्त नियमो की स्पष्ट अवहेलना थी।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-342 दिनांक 19.06.24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत टिकर मुसेरा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि विवाह पंजीकरण की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

7. राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचातय द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अंतगर्त विभिन्न एप्लिकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है । ग्राम पंचायत टिकर मुसेरा, विकास खण्ड चौंतडा, जिला मण्डी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल अलमिरा, कुर्सियाँ ही दर्ज की गयी थी तथा उनमें भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नही थे। इसके अलावा अन्य सम्पतियाँ जैसे हीटर, पंखे, बर्तन, लैपटाप, प्रिंटर इत्यादि का इन्द्राज ही नहीं किया गया था। इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया था तथा पंचायत द्वारा केवल 06 कार्यो को ही दर्ज किया गया था उनकी भी लागत मूल्य एवं निर्माण अथवा प्राप्ति की तारीख दर्ज नहीं थी। ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2024) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार

की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में दर्ज नहीं किया था । पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अंतगर्त दी गई एप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है की पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा । पंचायत द्वारा उपरोक्त एप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उलंघन था जोकि गंभीर अनियमितता है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-346 दिनांक 20.06.24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत टिकर मुसेरा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा रष्ट्रिय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशा-निर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल संपपतियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा ।

8. आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹0.25 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था । विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य

बिलों की जाँच में पाया गया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रॉयल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को ₹ 24370 का अधिक भुगतान किया गया था। जिसका विवरण **परिशिष्ट (ङ)** में संलग्न है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-349 दिनांक 21.06.24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत टिकर मुसेरा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि रॉयल्टी के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि रॉयल्टी की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 (क) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.26 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 में ₹25759 की निर्माण से सम्बन्धित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को

उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है ।

जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	बिल संख्या	शीर्ष	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)
1	77/14.03.2024	748	निधि	माँ लक्ष्मी स्टील वर्क सुकाबाग डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर	खिड़की की गरील	8275
2	80/14.03.2024	1656/02.03.2024	निधि	श्री साई हार्डवेर & इलैक्ट्रिकल चौंतरा तहसील जोगिंदेर्नगर	हीटर पिल्लर	7000
3	86/28.03.2024	2908/26.03.2024	निधि	राजू हार्डवेर गाँव व डाकघर चौंतरा	प्लाई बोर्ड	10484
	कुल					**25759**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-348 दिनांक 21.06.24 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत टिकर मुसेरा के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । उत्तर संतोषजनक नही था अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2022-23 व 2023-24 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जांच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान न करना :-

मनरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 3.2(iii) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी का वितरण एक ही परिवार के अलग-अलग व्यस्क सदस्यों में किया जा सकता है। प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी को सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2017-18 से 120 दिन कर दिया गया है। पैरा 6.4 के अंतर्गत लेबर बजट के लिए परियोजनाओ की शेल्फ तैयार की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओ की शेल्फ को पंचायत समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से करवाया जायेगा। अतः अनुमोदित परियोजनाओ का कार्यान्वन मनरेगा के तहत उपलब्ध जॉब कार्ड धारको द्वारा ही करवाया जायेगा। अभिलेखों की नमूना जाँच व ग्राम पंचायत टिकर मुसेरा, विकास खण्ड चौंतड़ा जिला मंडी (हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया की ग्राम पंचायत में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान जॉब कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार दिवसों की संख्या से कम रोजगार दिवस उपलब्ध करवाए गए थे। उपरोक्त अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाए गए रोजगर दिवसों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	**मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य**	**मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य**	**शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर**	**जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)**	**जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजागर माँगा (HH)**	**जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजागर प्रदान किया गया (HH)**	**वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मेंडेस**	**जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजागर प्रदान किया गया**	**मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले कार्य दिवस**	**वर्ष से दौरान रोजगार प्रदान किये जाने में कमी**
2022-23	248	58	190	448	205	205	6236	2	107660	101424
2023-24	262	43	219	457	214	214	9412	16	98692	89280

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है की ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर नहीं बनाये गए थे जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त जिन जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया था उन्हें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100/120 दिनों की कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्षों में पर्याप्त कार्यों को मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित करवाया था जिनमे से केवल आंशिक कार्य ही पूरे किये गए थे। पंचायत द्वारा अनुमोदित सभी कार्यों को न तो शुरू किया गया था जिससे स्पष्ट है की मनरेगा के तहत तैयार की जाने वाली वार्षिक शेल्फ जिसके परिणामस्वरूप सभी जॉब कार्ड धारकों को कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित/प्रदान नहीं किये गए थे। अनुमोदित कार्यों में से किये गए/कार्यान्वित कार्यों की दर बहुत ही कम थी जिससे यह प्रतीत हुआ की पंचायत द्वारा शेल्फ में कार्यों को या तो काल्पनिक आधार पर अनुमोदित किया गया था या पंचायत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्विन के प्रति गंभीर नहीं थे जो की नियमो की अवहेलना ही नहीं वल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या%डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-350 दिनांक 24.06.24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत टिकर मुसेरा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्विन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, जिसे अब भविष्य में जोबकार्ड धारको को रोजगार प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के कार्यदिवस हकदारी के अनुसार दिया जायेगा तथा शेल्फ में अनुमोदित सभी कार्य किर्यान्वित किये जाएँगे। तथा भविष्य में जोबकार्ड पात्रता के आधार पर बनाए जायेंगे जिसकी अनुपालना करके लेखापरीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

(ग) क्रय की गई सामग्री ₹ 0.65 लाख का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। अंकेक्षण के दौरान जॉच में पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी निम्न विवरणानुसार ₹ 65148 की क्रय की गई सामग्री/मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किए बिना ही प्रयोग किया गया था ।

क्रम सं0	वाउचर संख्या /दिनांक	बिल संख्या	शीर्ष	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	मात्रा	भुगतान राशि (₹)
1	10/07.05.2022	1350/08.12.2021	सामान्य निधि	राठोर हार्डवेर गाँव व डाकघर चौतरा तहसील जोगिंदर नगर	रेत	500 cft	21905
2	10/07.05.2022	1350/08.12.2021	सामान्य निधि	राठोर हार्डवेर गाँव व डाकघर चौतरा तहसील जोगिंदर नगर	बजरी	300 cft	10860
3	11/07.05.2022	1349/08.12.2021	सामान्य निधि	राठोर हार्डवेर गाँव व डाकघर चौतरा तहसील जोगिंदर नगर	रेत	300 cft	13143
4	12/07.05.2022	1329/04.12.2021	सामान्य निधि	राठोर हार्डवेर गाँव व डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर	रेत	80 cft	3504
5	nill	045191/03.02.2022	मनरेगा	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाइ	सीमेंट बैग	56	15736
कुल							**65148**

वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./ एस.ए.डी./2024-347 दिनांक 20.06.24 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत टिकर मुसेरा के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि क्रय की गई निर्माण सामग्री का इन्द्राज भण्डार / स्टॉक रजिस्टर में करने के उपरान्त पुष्टि करवा ली जाएगी

तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । अतः वर्णित अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है कि स्टॉक रजिस्टर का नियमानुसार संधारण सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(घ) भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत राजस्व की अनुवर्ती हानि :-

प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या रेव-डी-एफ(II)-11/2010 दिनांक 29.11.2011 द्वारा भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बंध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को निम्न प्रकार अधिसूचित किया गया:

(i) पटवारी अपने वृत्त के सभी राजस्व सम्पदा के ढाल बछ (Dhal bach) तैयार करेगा तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव/सहायक को सौंपेगा ।

(ii) ग्राम पंचायत सचिव/सहायक लम्बरदार के माध्यम से या किसी एजेंसी के द्वारा जैसे भी उचित हो, पछोत्रा अदा करके भू-राजस्व की वसूली करवाना सुनिश्चित करेगा ।

(iii) पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करेगा जोकि ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के अधीन होंगे ।

अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत टिकर मुसेरा, विकास खण्ड चौंतड़ा जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश में भू-राजस्व की जो राशि लम्बरदार द्वारा जमा करवाई जाती थी केवल उसे ही पंचायत की आय में जमा करवाया जाता था । भू-राजस्व की राशि प्रति वर्ष प्राप्त नहीं होती बल्कि दो या तीन वर्ष में एक बार ही प्राप्त की गई थी । जांच में आगे यह पाया गया कि प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बंध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा था । जबकि पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करने चाहिए थे जिससे की यह पता लगाया जाता कि पंचायत को

कितना भू-राजस्व प्राप्त होना था तथा कितना संग्रहण के लिए बकाया था जिसकी मांग की वसूली भविष्य में लम्बरदार या किसी एजेंसी के माध्यम से जैसे भी उचित हो सुनिश्चित की जा सके। अतः पंचायत सचिव द्वारा प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उपरोक्त अधिसूचना द्वारा जारी आदेशों को अनुपालना नहीं की गई जिससे पंचायत को अनुवर्ती नुकसान भी हो रहा है तथा न ही सम्बंधित अभिलेख तैयार किये गए जिनकी लेखा परीक्षा के दौरान जांच की जाती है जोकि नियमो के विरुद्ध था।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:-डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-341 दिनांक 19.06.24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत टिकर मुसेरा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही थी जिसे अब हि० प्र० सरकार की अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व की मांग व संग्रहण से संबन्धित अभिलेख संधारित लेखापरीक्षा को अवगत किया जाएगा।

10. (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख).विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्र. स.	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**सन्दर्भित नियम**
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
7	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
8	बिल रजिस्टर	13	48

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

11. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना

अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12. **लघु आपति विवरणिका:**-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

13. **निष्कर्ष:**-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

कृष्णलाल नेगी 31.8.24
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं० –0177–2620046

का०/प्रति
4347-4351 31 AUG 2024

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल०ए०) एच (पंच) (15)(11) 153/2024 खण्ड–1 दिनाँक शिमला–09
प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि०प्र०।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चौंतड़ा जिला मण्डी, हि०प्र०।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत टिकर मुसेरा, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हि०प्र० को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

31 AUG 2024

कृष्णलाल नेगी 31.8.24
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
का०/प्रति
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं० –0177–2620046

पैरा संख्या – 5(i)
परिशिष्ठ –(क)

Financial position of own source & grants in aid of Gram Panchyat tikkri musshera					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	987409.61	1549522	2536931.61	1546884	990047.61
2023-24	990047.61	630946	1620993.61	883782	737211.61

SECRETARY
Gram Panchyat Tikri Mushenra
Development Block Chauntra
District Mandi (H.P.)

पैरा संख्या - 5(ii)
परिशिष्ट -(ख)

21

Financial position of 15 th FCof Gram Panchyat tikari mushera					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	1775386	934270	2709656	1162796	1546860
2023-24	1546860	196880	1743740	557717	1186023

Bank Reconicilation as on 31 03-2024			
Balance as per cash book	1186023		
add:- interst of Rs 9405 taken in pass book on dated 01.04.2022, but not taken in cash book,interst of Rs 13481 taken in pass book on dated 01.07.2022, but not taken in cash book,interest of Rs 14569 taken in Pass book as on dated 01.10.2022 but not taken in cash book,interest of Rs 13876 taken in pass book as on dated 01.01.2023 but not taken in cash book , interest of Rs 11583 taken in pass book as on 01.04.2023 but not taken in cash book, interest of Rs 12797 taken as on 01.07.2023 in pass book but not taken in cash book ,interest of Rs 10776 taken in cash book as on 01.10.2023 but not taken in cash book,interest of Rs 10127 taken in pass book as on 01.01.2024 but not taken cash book	96614		
add:-On dated 15.06.2022 grant in aid of Rs 115727 received in pass book but not taken in cash book	115727		1398364
Balance as per Pass book			1398364
Net Difference			nill

22

SECRETARY
Gram Panchyat Tikri Mushehra
Development Block Chauntra
District Mandi (H.P.)

22

पैरा संख्या - 6 (क)
परिशिष्ठ - (ग)

प्रपत्र गृह कर राशि

क्रमाक	वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	कुल परिवार	दर	मांग	योग	वसूली	बसूली हेतु राशि
1	2022-23	9650	654	15	9810	19500	240	19220
2	2023-24	19220	654	50	32700	51920	29520	22400

Gram ... Development Block Chauntra
District Mandi H.P

पैरा संख्या - 6 (ख)
परिशिष्ठ - (च)

दुकान किराया ग्राम पंचायत टिकरी मुशेहरा

क्रमाक	वर्ष	दूकानदार का नाम	आरम्भिक शेष	वार्षिक किराया	कुल किराया	वसूली	अतिम शेष
1	2022-23	विनोद कुमार	0	9600	9600	9600	0
2		देव प्रकाश	0	9600	9600	9600	0
3		रमेश चंद	0	9600	9600	9600	0
				28800	28800	28800	0

दुकान किराया ग्राम पंचायत टिकरी मुशेहरा

क्रमाक	वर्ष	दूकानदार का नाम	आरम्भिक शेष	वार्षिक किराया	कुल किराया	वसूली	अतिम शेष
1	2023-24	विनोद कुमार	0	18600	18600	15000	3600
2		देव प्रकाश	0	18600	18600	16800	1800
3		रमेश चंद	0	18600	18600	6000	12600
				55800	55800	37800	18000

नोट ग्राम पंचायत टिकरी मुशेरा द्वारा दुकानों का किराया 01/07/ 2023 से 800 रूपये से 1800 रुपए कर दिया हे |

SECRETARY
Gram Panchyat Tikri Mushehra
Development Block Chauntra
District Mandi (H.P.)

पत्र संख्या-8, परिशिष्ट -(ड़)

क्र0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या/ दिनाँक	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CFT	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा (मिट्रीक टन)	रॉयल्टी (प्रति मिट्रीक टन)	राशि
	सामान्य निधि									
1	राठोर हार्डवेर गाँव व डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर	1350/08.12.2021	रेत	21905	500	14.15	1.62	22.92	60	1375
2	राठोर हार्डवेर गाँव व डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर	1350/08.12.2021	बजरी	10860	300	8.49	1.52	12.90	60	774
3	राठोर हार्डवेर गाँव व डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर	1349/08.12.2022	रेत	13143	300	8.49	1.62	13.75	60	825
4	राठोर हार्डवेर गाँव व डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर	1329/04.12.2021	रेत	3504	80	2.26	1.62	3.67	60	220
5	राठोर हार्डवेर गाँव व डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर	312/25.08.2023	रेत	11000	200	5.66	1.62	9.17	80	734
6	राठोर हार्डवेर गाँव व डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर	312/25.08.2023	बजरी	14220	316	8.94	1.52	13.59	80	1087
7	राठोर हार्डवेर गाँव व डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर	312/25.08.2023	बोल्डर	24650	725	20.52	2.24	45.96	80	3677
	मनरेगा									
8	प्रभात चंद गाँव खलेही डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	115/16.01.2022	बोल्डर	700	25	0.71	2.24	1.58	60	95
9	राजू हार्डवेर गाँव व डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	1316/02.12.2021	रेत	1314	30	0.85	1.62	1.38	60	83
10	राजू हार्डवेर गाँव व डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	1316/02.12.2021	बजरी	2172	60	1.70	1.52	2.58	60	155
11	राजू हार्डवेर गाँव व डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	2020/26.03.2022	रेत	2190	50	1.42	1.62	2.29	80	183
12	राजू हार्डवेर गाँव व डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	2020/26.03.2022	बजरी	3439	95	2.69	1.52	4.09	80	327
13	प्रभात चंद गाँव खलेही डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	116/16.01.2022	बोल्डर	700	25	0.71	2.24	1.58	60	95
14	राजू हार्डवेर गाँव व डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	1315/02.12.2021	रेत	1314	30	0.85	1.62	1.38	60	83
15	राजू हार्डवेर गाँव व डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	1315/02.12.2021	बजरी	2172	60	1.70	1.52	2.58	60	155
16	राजू हार्डवेर गाँव व डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	2019/26.03.2022	रेत	2190	50	1.42	1.62	2.29	80	183
17	राजू हार्डवेर गाँव व डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	2019/26.03.2022	बजरी	3439	95	2.69	1.52	4.09	80	327
18	प्रभात चंद गाँव खलेही डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	112/16.01.2022	बोल्डर	3640	130	3.68	2.24	8.24	60	494
19	राजू हार्डवेर गाँव व डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	1561/17.01.2022	रेत	3066	70	1.98	1.62	3.21	60	193
20	राजू हार्डवेर गाँव व डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	1562/17.01.2022	रेत	3066	70	1.98	1.62	3.21	60	193
21	प्रभात चंद गाँव खलेही डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	107/15.01.2022	बोल्डर	1960	70	1.98	2.24	4.44	60	266
22	राजू हार्डवेर गाँव व डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	1348/08.12.2021	रेत	3504	80	2.26	1.62	3.67	60	220
23	प्रभात चंद गाँव खलेही डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	114/16.01.2022	बोल्डर	1960	70	1.98	2.24	4.44	60	266
24	राजू हार्डवेर गाँव व डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	1589/19.01.2022	रेत	6571	150	4.25	1.62	6.88	60	413
25	प्रभात चंद गाँव खलेही डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	110/15.01.2022	रेत	1680	60	1.70	1.62	2.75	60	165
26	राजू हार्डवेर गाँव व डाकघर चौंतरा तहसील जोगिंदर नगर	2017/26.03.2022	रेत	3066	70	1.98	1.62	3.21	80	257